(c) and (d) Concerns have been received by the Central Government from several quarters regarding the serious problem of infilitration of the nationals of Bangladesh into the country, in particular into the States of the North East. The census figures do indicate a large increase in the population in some of the States of the North East which is attributable largely to the influx of the nationals of Bangladesh. The Central Government has initiated several measures to prevent infiltration which include strengthening of Border Security Force, implementation of Mobile Task Force (MTF)/Prevention of Infiltration of Foreigners (PIF) Schemes, construction of border roads and fence, issue of identity cards, setting up of Tribunals etc. The matter has been taken up with the Government of Bangladesh and some modalities have been arrived at for the Border Security Force to hand over certain categories of illegal migrants/infiltrators to Bangladesh Rifles.

झारखण्ड स्वायत्तशासी परिषद् के गठित किए जाने का प्रस्ताव

1237. **श्री गया सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झारखण्ड स्वायत्तशासी परिषद् गठित किए जाने संबंधी प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित परिषद् की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) से (ग) झारखण्ड क्षेत्र के लिए एक राजनैतिक प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के विचार से बिहार विधान सभा द्वारा पारित किए गए झारखण्ड क्षेत्र विकास परिषद् विधेयक 1991 की जांच पड़ताल की गई थी। 19-8-93 को गृह मंत्री के साथ हुई बैठक में, बिहार के मुख्य मंत्री को, झारखण्ड क्षेत्र विकास परिषद् विधेयक, 1991 पर केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 22-7-1993 को बिहार सरकार को भेजी गई टिप्पणियों पर विचार करने की सलाह दी गई थी। मुख्य मंत्री, टिप्पणियों पर विचार करने के लिए राज्य विधान सभा का विशेष सत्र बुलाने और जैसा कि विधान सभा द्वारा निर्णय लिया जाए, उपर्युक्त विधेयक का संशोधन करने के लिए सहमत थे।

विशेष सत्र नहीं बुलाया गया।

राज्य सरकार ने अब यह रुख अपनाया है कि वे आगे कार्रवाई करने पर तभी विचार कर सकते हैं यदि विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के आदेश से औपचारिक रूप से वापिस किया जाता है। तदनुसार विधेयक राष्ट्रपति के आदेशों की प्रक्रियाधीन है।

Assassination of Dr: Qazi Nissar

1238. SHRI JAGMOHAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) what was the gist of the last few public speeches made by Dr. Qazi Nissar before his assassination;

(b) which group of militants or individuals Government suspect to be involved in the assassination of the Qazi;

(c) whether the suspects have been apprehended; and

(d) what is the present stage of the investigation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) In his last few public speeches before his assassination, Dr. Qazi Nissar had been critical of the killings and atrocities inflicted by the militants on innocent people in J & K. He had also in some speeches made a mention about some of the actions of the security forces.